





1968  
श्री हीरालाल रं. त.  
अपील पेश की  
अपील धारक जैल रपोर  
येस पेश हो

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी,  
अजमेर (राज.)

— 00 —  
अपील संख्या 124/2018  
— 00 —

2019/06218  
RR 218/2018  
2019/00347  
2021/292

12/1/18

- श्रीमति न्याली देवी पुत्री स्व० श्री बालू
  - श्रीमति संतोष देवी पुत्री स्व० श्री बालू
  - श्रीमति सायरी देवी पुत्री स्व० श्री बालू
  - श्री देवीलाल पुत्र स्व० श्री बालू (माता उगमी) उग्र वर्ष
  - श्री शम्भू पत्नी श्री हीरालाल पुत्री बालू (माता उगमी) उग्र वर्ष
- समस्त जाति नाई, निवासीगण ग्राम कुम्हारिया तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)

— अपीलान्टस

बनाम

- श्रीमति पारसी पत्नी श्री नन्दराम उग्र 60 वर्ष समस्त जाति नाई, निवासी ग्राम कुम्हारिया तहसील भिनाय जिला अजमेर (राज०)
- राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, ~~भिनाय~~ <sup>मिकम</sup>

— रेस्पोंडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12-06-2018 उनवान उगमी वगैरह बनाम नन्दराम वर्गरह प्रकरण संख्या /14 के विरुद्ध बाबत

श्रीमान्जी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण/प्रार्थियागण की ओर से निवेदन है कि :-

- यह कि अपीलार्थीगण/प्रार्थियागण ने अधिनियम न्यायालय के समस्त वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान मू. राजस्व अधिनियम 1956 के साथ प्रार्थीगण/वादीगण ने एक

अ. नि. न्याली

देवी

अ. नि. सायरी